

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, कोटा

E-mail ☒ sdokot-kot-rj@nic.in ☎ 0744.232587

मिसल नम्बर – 2003/00081

1. राजस्थान सरकार जयें तहसीलदार लाडपुरा जिला कोटा

बनाम

1. छीतर, कालू वल्द धूल्या
 2. गुलाब बाई, सीता बाई पुत्री धूल्या
- जाति— गुर्जर साकिन कुन्हाडी कोटा

निर्णय

दिनांक :- 30/03/2026

(प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956)

प्रार्थी तहसीलदार लाडपुरा द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 इस बाबत प्रस्तुत किया गया कि प्रार्थीगण के खाते जमाबंदी संवत् 2030 से 2033 के अनुसार ग्राम कुन्हाडी की खसरा नम्बर 250 रकबा 7 बीघा 5 बिस्वा आराजी स्थित थी। दौराने सेटलमेंट उक्त नम्बर के नए खसरा नम्बर 184 रकबा 1.30 है० बनाये गये। जबकि सेटलमेंट पूर्व का रकबा 7 बीघा 5 बिस्वा का मैट्रिक प्रणाली के अनुसार 1.16 है० बनता है। भू प्रबंध विभाग द्वारा प्रार्थीगण के खाते 0.14 है० रकबा अधिक दर्ज किया गया है। तहसीलदार लाडपुरा द्वारा निवेदन किया गया है कि मिलान क्षेत्रफल अनुसार खसरा नम्बर 184 रकबा 1.30 है० में से 0.14 है० भूमि वाके ग्राम कुन्हाडी को राजकीय सिवायचक दर्ज किया जावें। तहसीलदार लाडपुरा द्वारा प्रार्थना पत्र के साथ नकल मिलान क्षेत्रफल 2038 से 2057 जमाबंदी संवत् 2030 से 2037 जमाबंदी संवत् 2038 से 2057 संलग्न किया गया है। प्रार्थना पत्र दर्ज कर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। वर्तमान में तहसीलदार लाडपुरा से मौका रिपोर्ट पुनः प्राप्त की गई।

तहसीलदार रिपोर्ट अनुसार वर्तमान में खसरा नम्बर 184 रकबा 1.30 है० भूमि नगर विकास न्यास कोटा (धारा 90बी) आवासीय प्रयोजनार्थ दर्ज रिकॉर्ड है उक्त खसरा नम्बरान पर घनी आबादी बसी हुई है।

हमने पत्रावली व संलग्न दस्तावेजों का आद्योपान्त अवलोकन किया। हस्तगत प्रकरण में तहसीलदार रिपोर्ट अनुसार विवादग्रस्त आराजी वर्तमान में नगर विकास न्यास कोटा के नाम आवासीय प्रयोजनार्थ दर्ज रिकॉर्ड है। आबादी बसी हुयी है।



उपखण्ड अधिकारी
कोटा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, कोटा

E-mail ✉ sdokot-kot-rj@nic.in ☎ 0744.232587

हमारे विनम्र मत में हस्तगत आराजी के आवासीय प्रयोजनार्थ दर्ज होने तथा मौके पर आबादी बसी होने के कारण वर्तमान में इस न्यायालय को प्रकरण में निर्णय पारित करने की अधिकारिता प्राप्त नहीं है। अतः प्रकरण तहसीलदार लाडपुरा को इस निर्देश के साथ लौटाया जाता है कि भू प्रबंध के दौरान रकबे में हुए किसी भी परिवर्तन हेतु सक्षम न्यायालय में चारा जोरी करें।

पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर दाखिल दफ़तर हो।



(गजेन्द्र सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
कोटा